भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
SEEPZ Special Economic Zone Authority
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

परिपत्र आदेश संख्या 06 दिनांक 04/09/2024

विषय: स्व-वित्तपोषित भवन के बंधक के लिए एनओसी की प्रसंस्करण और अनुमोदन के लिए शुल्क के संबंध में।

Sub: Regarding fees for processing & approval of NOC for Mortgage of Self financed building.

संपत्ति के बंधक के लिए एनओसी के लिए आवेदन की जांच और प्रसंस्करण के लिए प्रसंस्करण थुल्क के अनुमोदन का प्रस्ताव 69वीं प्राधिकरण बैठक में रखा गया था जो 20.08.2024 को आयोजित की गई थी। विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि स्व-वित्तपोषित भवन के बंधक के लिए एनओसी के प्रसंस्करण और अनुमोदन के लिए 10000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।	The proposal for approval of processing fee for scrutiny & processing of the application for NOC for mortgage of property was placed in 69th Authority meeting which was held on 20.08.2024. After deliberation, Authority decide that a fee of Rs 10000 to be charged as fees for processing and approval of NOC for Mortgage of self financed building.
तदनुसार, सभी इकाइयों से अनुरोध है कि वे स्व-वित्तपोषित भवन के बंधक के लिए एनओसी की प्रक्रिया और अनुमोदन के शुल्क के लिए संपत्ति के बंधक के लिए एनओसी हेतु आवेदन के साथ "सीप्ज- एसईजेड प्राधिकरण निधि" के पक्ष में 10000/- रुपये का डीडी जमा करें।	Accordingly, all units are requested to submit DD of Rs 10000/- in favour of "SEEPZ-SEZ Authority Fund" alongwith the application for NOC for Mortgage of property towards fees for processing and approval of NOC for mortgage of self finance building.

Signed by Prasad Hanumantrao Varwantkar Date: 04-09-2024 12:34:21

(प्रसाद वरवंटक) उपविकास आयुक्त/ संपदा आधिकारी

NO.: E-OPT-12/8/2024-EO-SEEPZ-MUMBAI / 1080+

August,2024 04\09\2024

To:

- 10:
 1. सभी यूनिटधारक
 2. कार्यालय आदेश फ़ाइल
 3. कार्यालय आदेश रजिस्टर
 4. डीसीओ और जेडीसीओ, डीडीसीओ, सीप्ज-एसईजेड